भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1044
सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

कौशल प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना

1044. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः**

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार कौशल विकास में सार्थक प्रशिक्षण प्राप्त करने में युवाओं की सहायता करने के लिए बेहतर अवसंरचना का सृजन करने हेतु राज्यों की सहायता किस प्रकार कर रही है;

(ख) कौशल विकास की कितनी श्रेणियों और विषयों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार किन-किन मंत्रालयों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम का मंत्रालय-वार समन्वय कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को कार्यान्वित करने हेतु जिम्मेदार है। आईटीआइज राज्य सरकारों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन हैं। आईटीआइज का उन्नयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि डीजीटी द्वारा आईटीआइज की संबद्धता, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करना, परीक्षा आयोजित करना तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाणन सहित सीटीएस प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की जाती है।

हालांकि, डीजीटी युवाओं को कौशल विकास में सार्थक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता हेतु समय-समय पर आईटीआइज में बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं भी चलाता है। हाल ही तक, आईटीआइज के उन्नयन तथा स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डीजीटी "औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)," "मौजूदा सरकारी आईटीआइज का मॉडल आईटीआइज में उन्नयन (मॉडल आईटीआई)," और "पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना (ईएसडीआई)," तथा “वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई योजना) से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास” नामक चार योजनाओं को लागू कर रहा था ।

i. स्ट्राइव योजना के तहत, 500 आईटीआइज (जिनमें 467 सरकारी और 33 निजी आईटीआइज शामिल हैं) को आईटीआइज की कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं तथा क्षमता निर्माण के उन्नयन के लिए चयनित किया गया था। यह योजना 31 मई, 2024 को समाप्त हो गई तथा विगत पांच वर्षों के दौरान आईटीआइज के उन्नयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 549.16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई।

ii. 'मॉडल आईटीआई' योजना में उपकरण उन्नयन और सिविल कार्यों के लिए प्रति आईटीआई 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता के साथ 35 चयनित सरकारी आईटीआइज को मॉडल आईटीआइज में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई थी। यह योजना 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 139.21 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

iii. ईएसडीआई योजना ने पूर्वोत्तर राज्यों में आईटीआइज को सहायता प्रदान की है। इसमें प्रत्येक आईटीआई में 3 नए व्यवसायों की स्थापना करके 22 मौजूदा आईटीआइज (प्रति आईटीआई 2 करोड़ रुपए की दर से) का उन्नयन; प्रत्येक आईटीआई में 3 मौजूदा व्यवसायों हेतु पुराने तथा अनुपयुक्त उपकरण एवं उपस्करों को अनुपूरक कर नए छात्रावासों, नए चाहरदीवारी के निर्माण द्वारा 28 आईटीआइज (प्रति आईटीआई 2 करोड़ रुपए की दर से) में अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना और 34 नए आईटीआइज (प्रति आईटीआई 9.5 करोड़ रुपए की दर से) की स्थापना करना शामिल है। यह योजना 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को कुल 281.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

iv. वामपंथी अतिवाद योजना ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 48 जिलों में प्रति आईटीआई 7.34 करोड़ रुपये की दर से 48 आईटीआइज की स्थापना हेतु सहायता की है। यह योजना 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 236.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों तथा उद्योग के सहयोग से कौशल विकास हेतु एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के परिणाम उन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना है।

(ख) देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआइज) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्तमान में, सीटीएस के माध्यम से 29 क्षेत्रों में 166 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे है। ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) एमएसडीई विभिन्न कौशल कार्यक्रमों हेतु 23 मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालयों के नाम **अनुबंध-II** में संलग्न है।

अनुबंध – I

लोक सभा के दिनांक 02.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रं सं.	क्षेत्र	व्यवसायों की संख्या
1	एयरोस्पेस और एविएशन	2
2	कृषि	4
3	परिधान	6
4	ऑटोमोटिव	11
5	सौंदर्य और स्वास्थ्य	3
6	बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्त सेवा और बीमा)	1
7	पूंजीगत और विनिर्माण सामान	36
8	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स	6
9	विनिर्माण	10
10	शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	1
11	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	8
12	पर्यावरण विज्ञान	1
13	खाद्य उद्योग	8
14	हस्तशिल्प और कालीन	8
15	स्वास्थ्य सेवा	6
16	आईटी और आईटीईएस	18
17	चमड़ा	2
18	लॉजिस्टिक्स	2
19	मीडिया और मनोरंजन	3
20	खनन	2
21	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	5
22	प्लंबिंग	1
23	विद्युत	6
24	निजी सुरक्षा	1
25	रबर उद्योग	1
26	संरक्षा और सुरक्षा	1
27	दूरसंचार	2
28	वस्त्र और हथकरघा	4
29	पर्यटन और आतिथ्य	7
	सकल योग	**166**

अनुबंध – II

लोक सभा के दिनांक 02.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू)
2	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एमओसीएफ)
3	संस्कृति मंत्रालय (एमओसी)
4	रक्षा मंत्रालय (एमओडी)
5	रक्षा मंत्रालय (एमओडी)
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमओडीओएनईआर)
7	शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई))
8	विदेश मंत्रालय (एमईए)
9	वित्त मंत्रालय (एमओएफ)
10	मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि विकास मंत्रालय (एमओएफएडी)
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)
13	गृह मंत्रालय (एमएचए)
14	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
15	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)
16	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)
17	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)
18	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी)
19	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई)
20	वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)
21	पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)
22	जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)
23	महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)

******